

FORM NO. III


फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर

उनवान सरकार बनाम जमशेद


किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट

प्रा0पत्र नम्बर 15/12/2023 दायर दिनांक 17.01.2023

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.03.2023	<p>पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजि0 संख्या आर.जे.-32-जी.बी.-7221 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना कोटकासिम से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी कोटकासिम द्वारा पत्रांक 653 दिनांक 24.02.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण हाजा में जप्तशुदा वाहन के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को नियमानुसार सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो मुकामी पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जप्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पत्रावली वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर अलवर</p>	

16.03.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा निर्धारित राशि के जमानतनामा/सुपुर्दनामा पेश किये। जो तस्दीक कर शामिल पत्रावली किये गये। थानाधिकारी कोटकासिम को जप्तशुदा वाहन सुपुर्द करने हेतु अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


जिला कलक्टर
अलवर